सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 239 / 16 **निर्णय दिनांक 02.01.2018**

हनीफ खॉ पुत्र सुगने खॉ जाति मुसलमान निवासी बीठनोक तहसील श्रीकोलायत जिला बीकानेर।
—अपीलांट

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 29—09—2007

सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह शिमला, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 29–09–2007 जिसके द्वारा अपीलांट का टी.सी. से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को वादगत् कृषि भूमि वाके रोही बीठनोक के खसरा नम्बर 1157 तादादी 37 बीघा का टी.सी आवंटन वर्ष 1978 में किया गया था। वर्ष 2007 में प्रार्थी को कहा गया कि यदि आप एकमुश्त राशि जमा करवा देते है तो आपको विवादग्रस्त भूमि का पुख्ता आवंटन कर दिया जावेगा। जिस पर अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के पुख्ता आवंटन कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 06–09–2007 को अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर संबंधित पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट रिकार्ड व तथ्यों के विपरीत मनगढन्त झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया कि वादगत् भूमि गुढ़ा वेस्ट ताप बिजली परियोजना हेतु आवाप्ताधीन है। अदालत मातहत द्वारा इसी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का टी.सी. से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि संबंधित पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1157 वाके रोही गुढ़ा वेस्ट ताप बिजली परियोजना हेतु आवाप्ताधीन होना अंकित किया है। जबकि प्रार्थी के चिपती कृषि भूमि खसरा नम्बर 1157 में 40 बीघा 10 बिस्वा का पुख्ता आवंटन नाजू खॉ पुत्र दिते खॉ निवासी बीठनोक को टी.सी. से पुख्ता आवंटन जरिये मिसल संख्या 744/07 निर्णय दिनांक 13–08–2007 द्वारा किया गया है तथा आवंटी के हक में दिनांक 15–10–2007 को पट्टा भी जारी किया गया है। जिससे प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 1157 गुढ़ा वेस्ट ताप परियोजना हेतु आवाप्त नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना

पत्र जानबूझकर निरस्त किया गया है। अपीलांट द्वारा समस्त रकम जमा करवा दी गई है। अपीलांट इस आधार पर खातेदारी हक, हकूक प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपी स्वीकार की जाकर वादगत् कृषि भूमि को टी.सी. से पुख्ता करते हुए खातेदारी हक व हकूक प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत् भूमि के टी.सी. से पुख्ता किये जाने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है कि वादगत् भूमि वाके रोही बीठनोक के खसरा नम्बर 1157 गुढ़ा वेस्ट ताप परियोजना हेतु आरक्षित है। चूंकि वादगत् भूमि गुढ़ा वेस्ट परियोजना हेतु आरक्षित है ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकती। अतः उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का टी.सी. से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को वर्ष 1978 में वादगत् कृषि भूमि वाके रोही बीठनोक के खसरा नम्बर 1157 तादादी 37 बीघा की टी.सी. आवंटन किया गया था। जिसके पुख्ता आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा अदालत मातहत सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

(2) अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को स्वीकृत भूमि की निर्धारित 35 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु नोटिस क्रमांक 22222 दिनांक 09—11—1999 जारी किया गया। अपीलांट द्वारा उपरोक्त नोटिस के जारी होने के उपरान्त भी छह माह तक राशि जमा नहीं करवाई गई।

इससे स्पष्ट है कि अपीलांट जानबूझकर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया व आवंटन का इच्छुक नहीं रहा है।

(3) चूंकि अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना निर्धारित समयावधि में न तो स्वयं उपस्थित आया ना ही आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि

जमा करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटित भूमि का कब्जा लेने का इच्छुक नहीं रहा है। चूंकि अपीलांट ने आवंटन शर्तो की पालना समयावधि में नहीं की इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया है कि प्रार्थी सूचना मिलने के बाद उपस्थित नहीं हुआ है तथा वह भूमि आवंटन का इच्छुक नहीं रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 28—04—2000 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर